452/08

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 567369

51100
12760
38340

लेखपत्र का विवरण

(1)

१- भूमि का मूल्य - कृषि

२- ग्राम- महेशपुर, परगना- झूँसी, तहसील फूलपुर जिला- इलाहाबाद

K. D. F.

TAHSILDAR
PHULPUR
30/1/08

अशोक राजपति लालजी

पेज-59 क्रमांक-61

स्टाम्प खरीदने का दिनांक 08-2-2008 ई०

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ...... बैनामा

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता श्रीमती विभा सिंह पुत्री श्यामकुँवर सिंह नि० 82 डी०सी० वाई चिन्तामणि रोड जार्जटाउन शहर इला०

स्टाम्प की धनराशि 5000/पांच हजार

क्रे० 638000

5000 f 20 5020/000

5 हजार

स्टाम्प विक्रेता-कचहरी कोषागार ...... कीप ...... उल० ...... योग ...... [illegible]

लाइसेंस नम्बर—573 ...... अशोक कुमार पुत्र पृथ्वीराज

लाइसेंस की अवधि 31 मार्च 2008 ...... [illegible]

[illegible] ह०/[illegible]

8/4/08

राज गिजयादव [illegible]

ह० [illegible] 8/4/08

638000/- पुक्ति [illegible]

अशोक कुमार [illegible] व [illegible]

पृथ्वीराज व लालजी [illegible]

[illegible] व श्रीमती विभा सिंह पुत्री श्यामकुँवर सिंह

मेरे द्वारा [illegible] पी० सिंह [illegible] सिंह नि० 82 D C.4 चिन्तामणि रोड [illegible]

राम लखन सिंह 644 [illegible]

अम० पी० सिंह [illegible] मोती लाल नेहरू रोड

[illegible]

8/4/08

अशोक [illegible] लालजी [illegible] [illegible] सुशील सिंह

इसके अंगूठे [illegible]

8/4/08

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

(2)

6356/2
12/16

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 567368

3. सम्पत्ति का विवरण- विक्रित आराजी नम्बर- 3 / 0.046, 4 / 0.194 कुल 2 गाटा योग रकबा 0.240 हे० में से रकबा 0.162 हे० यानी रकबा 1620 वर्गमीटर कृषि कार्य हेतु बेचा व बै किया।

4- मापन की इकाई- वर्गमीटर में।

5. पेड़ों का मूल्यांकन- कुछ नहीं।

6. सम्पत्ति का क्षेत्रफल- 162- वर्गमीटर।

आशोक राजपति लालमनी [signature]

पेज-60

पेज-59

स्टाम्प विक्रय की तिथि 08-2-2008 ई०

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन----- बैनामा

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता श्रीमती विभा सिंह पुत्री श्यामकुंवर सिंह नि० 8/251 टी० वाई० चिन्तामणि रोड जार्ज टाउन शहर इला०

स्टाम्प की धनराशि 6000/ छः हजार

[illegible] [illegible]—कचहरी

लाइसेंस नम्बर—578

लाइसेंस की अवधि 31 मार्च 2008

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 567367

(३)

६- नहर / तालाब / अन्य- पम्पिंगसेट।

७- सड़क की स्थिति- विक्रेय भूमि राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है

९- प्रतिफल- मु० ६३८०००) रु०

१०- बाजारी मालियत- मु० ६३८०००) रु०

११- स्टाम्प- मु० ५११००) रु०

अशोक   राजपति   लालजी

पेज-59 क्रमांक-59

स्टाम्प विक्रय की तिथि 08-2-2008ई०

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन बैनामा

क्रेता का नाम व पूरा पता श्रीमती विभा सिंह पुत्री श्याम कुँवर सिंह नि० 82 डी०टी० वाई चिन्तामणि रोड जाजमऊ शाहगंज इला०

स्टाम्प की धनराशि 5000 पाँच हजार

ह० [illegible]
स्टाम्प विक्रेता
लाइसेंस नम्बर—572
लाइसेंस की अवधि 31 मार्च 2008
[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

D 567357

चौहद्दी

पूरब - विक्रित आराजी का शेषभाग।

पश्चिम- खेती की भूमि ।

उत्तर- सड़क डामल रोड (झूंसी रोड)

दक्षिण- खेती की भूमि ।

विक्रित भूमि में खेती सहखातेदार है।

प्रथमपक्ष की संख्या-3 विक्रेतागण ।

अशोक कुमार व रमा राजपति पुत्रगण

पृथ्वीराज व लालजी पुत्र मुन्नीलाल

निवासीगण ग्राम-महेशपुर, परगना-झूंसी

तहसील-फूलपुर जिला इलाहाबाद।

अशोक राजपति लालजी [signature]

स्टाम्प विक्रय की तिथि 8/2/08 क्र०सं० 281

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन बैनामा

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता श्रीमती [illegible]

स्टाम्प की धनराशि—5000/-

स्टाम्प विक्रेता का पूरा नाम [illegible] हस्ताक्षर [illegible]

ला० नं० 281 ला० की अवधि

विक्रय करने का स्थान व पता

तहसील फूलपुर, इलाहाबाद

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH D 567358

द्वितीयपक्ष की संख्या-1 केती।

श्रीमती विभा सिंह पुत्री श्याम कुंवारी सिं

निवासिनी 82DC-Y चिन्तामणि रोड

जार्ज टाउन शहर इलाहाबाद हाल

मुकाम महेशपुर परगना झूंसी, तहसील

फूलपुर जिला इलाहाबाद अधिकृत

द्वारा मुख्तार आम डा० एस० पी० सिंह

पुत्र स्व० जी० बी० डी० सिंह 82D

C.Y. चिन्तामणि रोड जार्जटाउन शहर

इलाहाबाद।

अशोक राजपति

स्टाम्प विक्रय की तिथि 8/2/08 क्र०सं० 2802

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन बैनामा

स्टाम्प क्रेता का नाम व पता [illegible]

स्टाम्प की धनराशि-5000/-

स्टाम्प विक्रेता का पूरा नाम व हस्ताक्षर [illegible]

ला० नं० 281 ला० की अवधि

विक्रय करने का स्थान व पता

तहसील फूलपुर, इलाहाबाद

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु.   Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये   FIVE THOUSAND RUPEES

जो कि हम प्रथमपक्षगण / विक्रेतागण
अनुसूचित जाति के सदस्य नहीं है और
हम प्रथमपक्षगणों को तमाम प्रकार के खर्चे के लिए
पैसे की जरूरत है जिस कारण अपनी-अपनी भूमि
धरी भूमि जिसका विवरण इस लेखपत्र के शुरु में
दिया गया है जो हर तरह के बाद से पाक व साफ
है को बेचने का जिक्र कई लोगों से किया तो
अन्य के अलावा द्वितीय पक्ष लेने को तैयार हो गई
और (मु० ६३८०००) रुपये में तय हो गया इस
प्रकार कुल विक्रय मूल्य मु० ६३८०००) रुपया कि
जिसका आधा मु० ३१९०००) रु० होता है जिसकी
बाजारी मालियत भी यही होती है के बदले में
बदरुस्त व बहक द्वितीयपक्ष / क्रेती उपरोक्त के हाथ
बेच दिया है और (कुल विक्रयधन राशि मु० ६३८०००)
रु० हम प्रथमपक्षगणों ने इस लेखपत्र के पूर्व ही
द्वितीयपक्ष से प्राप्त कर चुके है और हम प्रथमपक्षगणों
का एक भी पैसा द्वितीयपक्ष के ऊपर बकाया नहीं रह गया है।

अशोक   राजपति   लालजी   [signature]

कलेक्टेट कोषागार इलाहाबाद

21-11-2002 ...... जन बिक्री फीस रुपया 5000/-

क्रेता का नाम श्रीमती विभा सिंह पुत्री/पति/पिता का नाम श्याम कुँवर सिंह

पता पुराना कोतवाली आजमगढ़ नगर इला।

82D की बाई चिन्ना मनि।

Gm.

सहायक रो०ड़िया/उप रोकड़िया
कले० कोषागार इलाहाबाद

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रूपये FIVE THOUSAND RUPEES

(6)

कब्जा व दखल अभिन्न तारीख से विक्रीत भूमि पर द्वितीयपक्ष को करा दिया है। द्वितीयपक्ष को पूर्ण अधिकार है कि अपना नाम कागजात सरकारी में हम प्रथमपक्षगणों के स्थान पर दर्ज करा लेवे।

यदि किसी भी दोष के कारण विक्रीत भूमि द्वितीय पक्ष के अधिकार एवं कब्जा दखल से निकल जावे तो ऐसी सूरत में द्वितीय पक्ष अपना कुल विक्रयधनराशि हर्जा खर्चा एवं सूद कानूनी सहित जोड़कर हम प्रथम पक्षगणों के चल एवं अचल सम्पत्ति से वसूल कर लेवें इसमें हम प्रथमपक्ष गणों एवं हमारे वारिसानों कायममुकामानों को न कोई उज्र है और न आइन्दा कभी होगा।

7 NOV 2002

अशोक   राजपति   ज्वाला प्र   [illegible]

कलेक्टरेट कोषागार इलाहाबाद

दि० 21-11-2002 जन/पु० क्रास रुपया 5000/-

केता का नाम श्रीमती विमा सिंह पुत्री/पिता का नाम श्याम कुँवर सिंह

पता पुरानी कोतवाली आजमगढ़ नगर इला।

820 सी वाई चिन्तामणि

Sm.

सहायक रोकड़िया/उप रोकड़िया

कल० कोषागार इलाहाबाद

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

1 NOV 2002
कोषागार, इलाहाबाद

(८)

अतः यह बैनामा हम प्रथम पक्ष
गणों ने अपने-अपने मस्तिष्क
के स्वस्थ दशा में राजी व खुशी से
द्वितीय पक्ष के हक में कतई लिख दिया कि
सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम
आवे।

विक्रित भूमि आवास विकास के
अन्दर है मा० रु० 10,000) प्रति एकड़
की दर से अदा किया गया है। विक्रित
भूमि राष्ट्रीय भूमि चालीपत है जिस पर अति
मय स्व- मालियत जमा से अदा किया गया है

अशोक राजपति ज्ञानवती [signature]

कलेक्ट्रेट कोषागार इलाहाबाद

दि० 21-11-2002 जन /बी० फीस रुपया 5000/-

क्रेता का नाम श्रीमती प्रिभा सिंह पति/पिता का नाम श्याम कुँवर सिंह

पता पुरानी कोतवाली आजमगढ़ जनपद देवां

820 स्टां० वाहि चिन्तामणि

(हस्ताक्षर)

सहायक रोकड़िया/उप रोकड़िया

कल० कोषागार इलाहाबाद

5000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५000रु. Rs 5000

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच हज़ार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

21 NOV 2002

८ २७।

मा० कुल ६३८०००) रु० पर स्टाम्प
शुल्क व कोई फीस क्रेता ... है
क्रेता महिला होने के कारण स्टाम्प
शुल्क 2% कम दे अदा किया गया है
विक्रित भूमि से सम्बन्धित कोई भी
वाद किसी भी न्यायालय में विचारा
धीन नहीं है। अशोक कुमार व राजपति
पुत्रगण पृथ्वीराज अपने हिस्से में से रकबा 15:10
बेचा व लालजी पुत्र पृथ्वीराज ने अपने हिस्से ६३ कड़ी में से
रकबा 1-23 कड़ी बेचा इस प्रकार कुल
रकबा 1620 वर्ग मी० बेचा गया है।
नोट: पृष्ठ सं० 4 के सतर 6 में "रमान" कटा है।

अशोक राजपति लालजी [signature]

कलेक्ट्रेट कोषागार इलाहाबाद

दि० 21-11-2002 जन./बि० फीस रुपया ५०००/-

क्रेता का नाम श्रीमती विमा सिंह पुत्री/पिता का नाम श्याम कुँवर सिंह

पता पुरानी कोतवाली आजमगढ़ जनपद इला।

820 सी वार्ड चिन्तामणि

Gm.

सहायक रो० डिया/उप रोकड़िया

कल० कोषागार इलाहाबाद

5000 Rs.

[illegible] अधिनियम 1908 [illegible] धारा 32A [illegible]
(Finger Prints) [illegible]

बायें हाथ

	कनिष्क	
	अनामिका	
	मध्यमा	
	तर्जनी	
	अंगुष्ठ	

	कनिष्क	
	अनामिका	
	मध्यमा	
	तर्जनी	
	अंगुष्ठ	

सत्यमेव जयते
1 NOV 2002
कोषागार, इलाहाबाद

अशोक रजपति लालजी

कलेक्ट्रेट कोषागार इलाहाबाद

21-11-2002 .... जमा स्टां० फीस रुपया 5000/-

क्रेता का नाम श्रीमती विमा सिंह .... पति/पिता का नाम पुत्री स्व० श्याम कुँवर सिंह

पता पुराना कोतवाली आजमगढ़ .... हस्ता० इला..

820 सी वाई चिन्तामणि

Gm

सहायक रोकड़िया/उप रोकड़िया
कल० कोषागार इलाहाबाद

1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

[redacted]

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा 32ए के अन्तर्गत

(Finger Prints) अंगुलियों के चिह्न क्रेता एवं विक्रेता

18 JAN 2008

बाये हाथ		दाये हाथ
	कनिष्क	
	अनामिका	
	मध्यमा	
	तर्जनी	
	अंगुष्ठ	

बाये हाथ		दाये हाथ
	कनिष्क	
	अनामिका	
	मध्यमा	
	तर्जनी	
	अंगुष्ठ	

अशोक राजपति कालका

स्टाम्प विक्रय [illegible] 8 2/01 क्र० सं० 283

स्टाम्प क्रय [illegible] बैनामा

[illegible handwritten line]

स्टाम्प की धन राशि- 1000/-

स्टाम्प विक्रेता का पूरा नाम मोहम्मद हनीफ मो० हनीफ

ला० नं० 281 लाइसेंस की अवधि..................

विक्रय करने का स्थान व पता

तहसील फूलपुर, इलाहाबाद

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१०० रु. Rs 100

सत्यमेव जयते

भारत

एक सौ रुपये ONE HUNDRED RUPEES

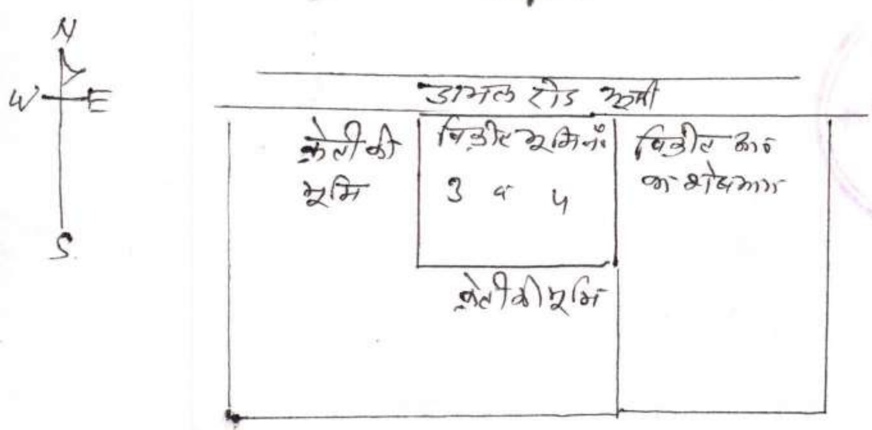

राजपाल

तहसील फूलपुर

दाखिल दिनांक 8.2.08

बही संख्या I

जिल्द संख्या 4452

पृष्ठ 387/410

की फोटो सीट संख्या 2527 पर रजिस्ट्रीकृत किया गया।

उपनिबन्धक

फूलपुर

इलाहाबाद

न्यायालय उपजिलाधिकारी फूलपुर,इलाहाबाद।

वादसंख्या – 35 वर्ष –2012 धारा 143 ज0वि0अधि0

मौजा – महेशपुर परगना झूसी तहसील फूलपुर जनपद इलाहाबाद।

विभा सिह बनाम अशोक कुमार आदि

निर्णय

प्रस्तुत वाद श्रीमती विभा सिह पुत्री श्री श्याम कुवर सिह निवासी पुरानी कोतवाली आजमगढ हाल मुकीम 82डी0 सी0वाई0 चिन्तामणि रोड जार्ज टाऊन शहर इलाहाबाद के द्वारा इस आशय से दाखिल किया गया है कि ग्राम महेशपुर परगना झूंसी तहसील फूलपुर जिला इलाहाबाद की आराजी संख्या 3 रकबा 0.046हे0 व 4रकबा 0.194हे0 कुल 2गाटा रकबा 0.240हे0 मे से 0.172हे0 हे0 यानी 1720वर्गमी0 जिसका उसने बैनामा लिया है और उसका नाम दर्ज है जिसका आवासीय उपयोग कर रहे है और भूमि अकृषिक घोषित किये जाने की याचना की गई है।

पत्रावली की जांच तहसीलदार फूलपुर से करायी गई और उन्होने अपनी आख्या दिनांक 25.05.2012 द्वारा अवगत कराया है कि वाद पत्र में दी गई आराजियात मौके पर जोती–बोई नही जाती है। तहसीलदार द्वारा भूमि अकृषिक घोषित किये जाने की संस्तुति की गई है। पत्रावली में आराजियात के सह खातेदार अशोक कुमार व राजपति पुत्रगण पृथ्वीपाल व लालजी पुत्र पुन्नीलाल व शिव प्रताप पुत्र ब्रह्मदेव समस्त निवासीगण 82डी0 जार्ज टाऊन शहर इलाहाबाद के द्वारा एक नोटरी शपथ–पत्र इस आशय का दिया गया है कि वादिनी द्वारा अपनी क्रय की गई आराजी का उपयोग आवासी रूप में कर रही है। भूमि जोती–बोई नही जाती है एवं न ही जोतने –बोने लायक है,इनका हिस्सा बैनामे के अनुसार अकृषिक घोषित कर दिया जाय इसमें मुझ प्रतिवादीगणो को कोई आपत्ति नही है।

मैने पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया एवं तहसीलदार फूलपुर द्वारा प्रस्तुत आख्या एवं नियम –135 के तहत प्रस्तुत प्रारूप का परिशीलन किया। तहसीलदार ने अपनी आख्या में कहा है कि भूमि जोती–बोई नही जाती है। तहसीलदार की आख्या दिनांक 25.05.2012 से सहमत होते हुए भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना उचित एवं न्याय संगत होगा।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि ग्राम महेशपुर परगना झूंसी तहसील फूलपुर जनपद इलाहाबाद की आराजी संख्या 3रकबा 0.046हे0 व 4रकबा 0.194हे0 2 गाटा रकबा 0.240हे0 मे से रकबा 0.172हे0 भूमि अकृषिक घोषित किया जाता है। तहसीलदार की आख्या दिनांक 25.05.2012 आदेश का अंग होगा। इस आदेश का प्रभाव किसी भी खातेदार के विशिष्ट अंश एवं चौहद्दी एवं स्वामित्व पर कोई प्रभाव नही पड़ेगा। परवाना अमलदरामद जारी हों। वाद परवाना अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

13-6-12

(दयानन्द प्रसाद)
उपजिलाधिकारी
फूलपुर,इलाहाबाद

उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 23020188093 ग्राम का नाम : महेशपुर परगना सिकन्दरा तहसील : फूलपुर

जनपद : इलाहाबाद फसली वर्ष : 1419-1424 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता / पति / संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे .)	खातेदार व्दारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2			3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क	भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।								
00008	अशोक कुमार	पृथ्वीराज	नि. ग्राम	1410फ	3	0.0460		1419फ देखो मु.न.29धारा 143ज.वि.अधि.ता.फै.21/4/1 का आदेश खातास.151पर दर्ज है 4/5/12फीड दिनाँक 26/5/12	
	राजपत	पृथ्वीराज	नि. ग्राम	1410फ	4	0.1940			
	लालजी	पुन्नीलाल	नि. ग्राम						
	शिव प्रताप सिह	ब्रहम देव सिह	जार्ज टाऊन इलाहाबाद						
	श्रीमती विभा सिंह पत्नी	श्यामकुवर सिंह	82डी.सी.वाई.चिन्तामणि रोडजार्जटाउनहालमु.महेश					1419फ. आदेशानुसार उपजिलाधिकारी फूलपुर वाद सं. 35 धारा 143 ज.वि.अधि.श्रीमती विभा सिंह बनाम अशोक कुमार आदि ता.फै.13/06/12 प्राप्त 19/06/12 को आदेश हुआ कि ग्राम महेशपुर परगना झूँसी तहसील फूलपुर जिला इलाहाबाद की आराजी सं.3 रकबा 0.0460हे व आ.सं.4 रकबा 0.194हे 2गाटा रकबा 0.240हे मे से रकबा 0.172हे भूमि अकृषिक अंकित हो इस आदेश का प्रभाव किसी भी खातेदार के विशिष्ट अंश चौहददी एवं स्वामित्व पर कोई प्रभाव नही पडेगा 19/06/12फीड दि.19/06/12	
				कुल गाटे :	2	कुल क्षे : 0.2400	11.00		

हस्ताक्षर

6/19/2012